करने की सलाह दी गई है । विनिर्माताओं/पैकरों को एसोसिएशनों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने सदस्यों को सलाह दें कि वे इन नियमों के उपबंधों का पालन करें, अपने संशोधित मूल्यों को समाचार पत्रों में विज्ञापित करें और उनकी प्रतियां थोक विक्रेताओं/खुदरा विक्रेताओं को दें तथा उन्हें निदेश दें कि वे संशोधित मूल्यों से अधिक मूल्य न लें । व्यापार की आम सूचना के लिए एक प्रेस विज्ञापन भी जारी किया जा रहा है ।

उपभोक्ताओं तक इन लाभों के पहुंचाने के लिए कारगर परिवीक्षा की दृष्टि से, मंत्रालय एक निगरानी समिति भी गठित करने पर भी विचार कर रहा है, जिसमें व्यापार, उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारी शामिल होंगे ।

शराब को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में रखा जाना

3809. **श्रीमती सत्या बहिन :**

श्रीमती कैलाश पति :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शराब (मदिरा) को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) और किन-किन मदों को इस श्रेणी में रखा गया है; और

(घ) उनका ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत, जब भी स्थितियों के अनुसार ऐसा अपेक्षित होता है और उस विषय से प्रयास-निक रूप से संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा आवश्यक सिफारिश की जाती है, वस्तुओं को आवश्यक वस्तुएं घोषित कर दिया जाता है ।

(ग) तथा (घ) इस समय विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के 66 वर्ग इस रूप में सूचीबद्ध हैं । इनमें खाद्य सामग्रियां, धातुएं, खनिज, वस्त्र, मशीनरी तथा वस्तुओं की अन्य विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं, जो प्रत्येक विशिष्ट रूप से सूचीबद्ध हैं ।

Allotment of ration depots

3810. SHRI MOHINDER SINGH KALYAN : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to Mate :

(a) what is the criteria being followed in allotting ration depots to applicants;

(b) whether special considerations are showns to applicants from scheduled Caste and Scheduled Tnbe communities; and

(c) what is the state-wise break-up of ration depots belonging to dealers from Scheduled Caste and Scheduled Tribe com munities ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) to *(c)* The operational responsibility for implementing the Public Distribution System (PDS) rests with the State Governments/UT Administrations. Decisions regarding opening of fair price shops, including policy relating to preferences are taken by the State Governments/UT Administrations. The Central Government has written to the Stale Governments/UT Administrations advising them to consider reserving a percentage for issue of licences for running a fair price shop and kerosene oil depot and coal depots under the PDS to persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes. Some State Governments have fixed quota system of preferences in allotment of FPS/kerosene oil depot/coal depot to Scheduled Castes/Scheduled Tribe*, in their States. The